संख्या-98/2025/2025/1379/छप्पन-2025-56-1006/2/2019

प्रेषक,

नवनीत सिंह चहल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 11 नवम्बर, 2025

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP VT-UPK के अनुरक्षण कार्य हेतु MIXER BOX ASSY Part No. 412-360-001-101 Qty 01 क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-214/ना0उ0नि0/इंजी/(पी0-08)/09-आई/2025 दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में किए गए अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP VT-UPK के अनुरक्षण हेतु MIXER BOX ASSY Part No. 412-360-001-101 Qty 01 को मै0 बेल टेक्स्ट्रान एशिया Pte. Ltd सिंगापुर से क्रय करने पर होने वाले व्यय यू०एस० डालर 105074.00 जो भारतीय मुद्रा में रू0 89/-प्रति डालर की विनिमय की दर से रू० 93,51,586/- (रूपये तिरानवे लाख इक्यावन हजार पॉच सौ छियासी मात्र) एवं लेटर ऑफ क्रेडिट हेतु 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में रू0 9,35,159/- तथा निदेशालय में सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे०बी०के० लाजिस्टिक्स, नई दिल्ली से प्राप्त ई-मेल के अनुसार इसके आयात पर अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी०एस०टी०, फेट चार्जेज इत्यादि) के रूप में रू0 25,00,000/-अर्थात् कुल रू0 1,27,86,745.00 (एक करोड़ सत्ताईस लाख छियासी हजार सात सौ पैंतालिस मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा क्रयादेश निर्गत किये जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि की अग्रिम आहरण की स्वीकृति एवं भुगतान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इस प्रस्तावित धनराशि में जी.एस.टी. एवं अन्य देय शुल्क / कर सम्मिलित हैं अथवा नहीं। डॉलर बनाम रूपैया परिवर्तनीय दरों के विषय में निदेशक, नागरिक उड्डयन पूर्व से कमिटेड कोई न्यून दर (यदि कोई हो तो) अथवा प्रचलित दर में जो कम हो उसके अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन ''राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070 अन्य प्रशसनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
नवनीत सिंह चहल
विशेष सचिव

संख्या: 98/2025/1379 (1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।